परिशिष्ट [17/3/2022]

प्रश्न सं. [क 1414]

म०प्र० अधिनियम क्र 23 सन् 2018 द्वारा यथा संशोधित दिनांक 27-07-2018

(घ) यह कि इस प्रकार आधारित होते हुए भी, बाद में ऐसी डिक्री या ऐसे आदेश को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में फेरफारित कर दिया है; या

(ङ) यह कि सिविल न्यायालय ने डिक्री द्वारा, ग्राम में विद्यमान किसी रूढ़ि का पर्यवसान कर दिया है ।

(d) that being so founded, such decree or order has subsequently been varied on appeal, revision or review; or

(e) that the Civil Court has by a decree determined any custom existing in the village.

243. आबादी – (1) जहां आबादी के लिये आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, तो वह गांव की दखल रहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र रक्षित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ।

(2) जहां आबादी के प्रयोजनों के लिये दखल रहित भूमि उपलब्ध न हो, वहां राज्य सरकार आबादी के विस्तारण के लिये कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी।

[1][(3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)] के उपबन्ध ऐसे अर्जन से लागू होंगे और ऐसी भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय होगा ।

243. Abadi. — (1) Where the area reserved for abadi is in the opinion of the Collector insufficient, he may reserve such further area from the unoccupied land in the village as he may think fit.

(2) Where unoccupied land for purposes of abadi is not available, the State Government may acquire any land for the extension of abadi.

[1][(3) The provisions of the [2][The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)] shall apply to such acquisition and compensation shall be payable for the acquisition of such land in accordance with the provisions of that Act.